पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 146/2018

अनवान :

1. दलीप कुमार } पुत्रान पोकर राम जाति नाई निवासीगण कणाऊ
2. दयाराम } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. पोकर राम पुत्र किशनाराम जाति नाई निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. गुड्डी } पुत्रियां पोकर राम जाति नाई निवासीगण कणाऊ
3. सरस्वती } तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे भादरा (हाल एस बी आई भादरा)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रामस्वरूप देहडू एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री अमित देहडू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ बारानी के खाता सं0 132/134 के खसरा नं0 16 की 14.5430 है0 बारानी, खसरा सं0 224 की 5.1470 है0, खसरा नं0 473 की 0.4300 है0, खसरा सं0 482 की 5.7040 है0 खसरा सं0 518 की 10.4590 है0 कुल खसरा सं0 5 की 36.2830 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी पोकरराम 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 146/2018

अनवान :

1. दलीप कुमार
2. दयाराम

} पुत्रान पोकर राम जाति नाई निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. पोकर राम पुत्र किशनाराम जाति नाई निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. गुड्डी
3. सरस्वती

} पुत्रियां पोकर राम जाति नाई निवासीगण कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे भादरा (हाल एस बी आई भादरा)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री रामस्वरूप देहडू : वादीगण
वकील श्री अमित देहडू : प्रतिवादी सं0 1 ता 3
निर्णय **दिनांक :** 10-1-19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ बारानी के खाता सं0 132/134 के खसरा नं0 16 की 14.5430 है0 बारानी, खसरा सं0 224 की 5.1470 है0, खसरा नं0 473 की 0.4300 है0, खसरा सं0 482 की 5.7040 है0 खसरा सं0 518 की 10.4590 है0 कुल खसरा सं0 5 की 36.2830 है0 बारानी किसनाराम के वारिसान पोकरराम, हरीराम, बुधराम, मनीराम, जगदीश प्रसाद के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी पोकरराम 1/5 हिस्सा का खातेदारी काश्तकार है।

वाद भूमि पहले वादीगण के दादा किसनाराम की खातेदारी हुआ करती थी। किसनाराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि प्रतिवादी पोकरराम व हरीराम, बुधराम, मनीराम व जगदीश प्रसाद के बहिस्सा बराबर दर्ज हुई जबकि प्रतिवादी पोकर राम के हिस्से की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई थी। परन्तु किसनाराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी पोकरराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण के दादा के समय की होने के कारण वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हिस्सा के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी।

वाद भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का पारिवारिक सेटलमेन्ट हो गया जिसमें वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिससे प्रतिवादी पोकर राम व वादीगण को 1/3–1/3 हिस्सा प्राप्त हो गया। इसी अनुसार वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी पोकरराम के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 4 व 5 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 दयाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 132/134 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2060–63 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमे में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण के दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ सम्वत् 2060–63 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है उसमें वाद भूमि वादी के दादा किशनाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 व 4 में पोकरराम वारिसान में दो पुत्र दयाराम, दलीप कुमार व दो पुत्रियां गुड्डी एवं सरस्वती होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ बारानी के खाता सं0 132/134 के खसरा नं0 16 की 14.5430 है0 बारानी, खसरा सं0 224 की 5.1470 है0, खसरा नं0 473 की 0.4300 है0, खसरा सं0 482 की 5.7040 है0 खसरा सं0 518 की 10.4590 है0 कुल खसरा सं0 5 की 36.2830 है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी पोकरराम 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़